उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-578/एक-1-2023-1-1099/46/2023
लखनऊ: दिनांक: 17 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन)

उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2022 के क्रम में राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अंतर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक-03-6-2016 में आंशिक संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या-5/2018/1934/एक-1-2018-रा0-1, दिनांक 04 सितम्बर, 2018 द्वारा ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त भूमियों के आवंटन के बदले पुनर्ग्रहण का मूल्य जहां वह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्राधिकरणों हेतु पुनर्ग्रहीत हों, जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट या बाजारू दर के समतुल्य लेखाशीर्षक में जमा किये जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक-04.09.2018 में निहित व्यवस्था में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

'ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित धारा-59 की उपधारा-2 की भूमि को संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में नि:शुल्क निहित किया जाएगा।''

2- शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक-03-6-2016 का प्रस्तर-4(1)(ग) इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

Signed by मनोज कुमार
Date: 17-07-2023 14:46:04
Reason: Approved
(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव